न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री राकेश कुमार न्योल, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 129/2019

1. भंवरी देवी पत्नि भंवराराम जाति जाट निवासी बन्धा तहसील व जिला बीकानेर।

– वादीनी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एल आर एक्ट

उपस्थित –

1. श्री रामकरण मूण्ड अधिवक्ता वादीनी।
2. पैरोकार राज।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 16.12.2019

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीनी की बारानी खातेदारी भूमि ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 729 में 25 बीघा नये खसरा नम्बर 931 में 6.32 हैक्टेयर भूमि अपने कब्जा काश्त में है जो खरीदशुद्धा भूमि है व वादीनी के नाम से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। वादगत भूमि वादीनी ने जरिए बैनामा खरीद की है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम भूरीदेवी चला आ रहा है क्योंकि वादगत भूमि वादीनी की पुरानी थी। वादीनी का नाम लिपिकीय भूलवंश से भूरीदेवी लिखा गया है किन्तु वास्तविक नाम भंवरीदेवी है। इस कारण वादीनी भूरीदेवी के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

भंवरीदेवी नाम की घोषणा करवाने के हकदार है। भूरीदेवी का अन्य सभी दस्तावेजों में भंवरीदेवी नाम दर्ज है। दिनांक 01.11.2019 को वादीनी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी नाम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश पर वाद कारण हासिल हुआ। यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। सरकार के खिलाफ दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है व धारा 80 सीपीसी के नाटिस के अभाव में दावा संधारण योग्य है। अतः दावा बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादी इस विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि खातेदारी भूमि ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 729 में 25 बीघा नये खसरा नम्बर 931 में 6.32 हैक्टेयर बारानी भूमि में वादीनी का अपना नाम भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी नाम की घोषणा की जावे।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया गया है। प्रतिवादी स्टेट को समन जारी किए गए। स्टेट की ओर से राज पैरोकार ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में वादीनी का नाम भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी किया जाता है तो सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है। दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर न्याय हित में शुद्ध किया जाना उचित है।

3. वादीनी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबंदी ग्राम कालू सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 727, सरपंच ग्राम पंचायत कतरियासर तस्दीक बहक वादीनी, फोटो कॉपी बैयनामा, वोटर आई कार्ड बहक वादीनी, आधार कार्ड बहक वादीनी, राशन कार्ड बहक, नॉन ज्यूडिशियल शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

4. बहस उभयपक्ष समाअत की गई व सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता श्री रामकरण मूण्ड ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए वादपत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीनी की बारानी खातेदारी भूमि ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 729

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

में 25 बीघा नये खसरा नम्बर 931 में 6.32 हैक्टेयर भूमि अपने कब्जा काश्त में है जो खरीदशुद्धा भूमि है व वादीनी के नाम से राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। वादगत भूमि वादीनी ने जरिए बैनामा खरीद की है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम भूरीदेवी चला आ रहा है क्योंकि वादगत भूमि वादीनी की पुरानी थी। वादीनी का नाम लिपिकीय भूलवंश से भूरीदेवी लिखा गया है किन्तु वास्तविक नाम भंवरीदेवी है। इस कारण वादीनी भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी नाम की घोषणा करवाने के हकदार है। भूरीदेवी का अन्य सभी दस्तावेजों में भंवरीदेवी नाम दर्ज है। दिनांक 01.11.2019 को वादीनी द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी नाम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के निर्देश पर वाद कारण हासिल हुआ। यही तारीख विनाय दावा एवं विनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड हॉल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। सरकार के खिलाफ दावा प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनन दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है व धारा 80 सीपीसी के नाटिस के अभाव में दावा संधारण योग्य है। अतः दावा बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादी इस विनाय की जारी फरमाई जावे कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि खातेदारी भूमि ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 729 में 25 बीघा नये खसरा नम्बर 931 में 6.32 हैक्टेयर बारानी भूमि में वादीनी का अपना नाम भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी नाम की घोषणा करवाने का हकदार है व अन्य अनुतोष जो न्यायहित में हो वादीनी को दिलवाया जावे।

5. वादीनी के विद्वान अधिवक्ता के प्रत्युत्तर में राज पैरोकार ने कथन किया कि वादगत भूमि में वादीनी का नाम इन्द्रराम के स्थान पर इन्द्राज किया जाता है तो सरकार को कोई हानि नहीं हो रही है। दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर न्याय हित में शुद्ध किया जाना उचित है।

6. हमने पत्रावली का भलीभांति अध्ययंन व मनन किया। उभयपक्षों की बहस व प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन करने उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादगत भूमि में वादीनी का नाम सहवन से दौराने बैयनामा भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी दर्ज हुआ है जो कि सरपंच ग्राम पंचायत कतरियासर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

तस्दीक बहक वादीनी, फोटो कॉपी बैयनामा, वोटर आई कार्ड बहक वादीनी, आधार कार्ड बहक वादीनी, राशन कार्ड बहक, नॉन ज्यूडिशियल शपथ–पत्र साक्ष्य जो वादीनी ने प्रदर्श करवायें है के मुताबिक साबित होता है। अतः मौजा रोही ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर के खाता संख्या पुराना 1371 व नया 727 नया खसरा नम्बर 931 में 6.32 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तद्नूसार पर्चा डिक्री जारी हों। तहसीलदार लूनकरनसर को उक्त निर्णय की पालना में रिकार्ड दुरूस्त करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : राकेश कुमार न्योल, आरएएस

भंवरीदेवी **बनाम** सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88 आरटीए, धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 129/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीनी श्री रामकरण मूण्ड मिनजानिब मुदई पैरोकारराज राज्य की ओर से मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि मौजा रोही ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर के खाता संख्या पुराना 1371 व नया 727, नया खसरा नम्बर 931 में 6.32 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम भूरीदेवी के स्थान पर भंवरीदेवी दुरूस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर तद्नूसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- .... बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-................ .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.12.2019 को डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

भंवरी देवी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :– वाद घोषणात्मक अ.धा. 88 आरटी एक्ट एवं 136 एलआर एक्ट

नं. मुकदमा 129 /2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2019	यह वाद पत्र वादी की ओर से श्री रामकरण मूण्ड एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी आईन्दा दिनांक 09/12/2019 को पेश हो।	
09.12.19	पत्रावली पेश हुई । पी.अ. प्रशासनिक कार्यों में [illegible] । [illegible] पत्रावली दिनांक 16.12.19 को पेश हो । स्टे/जवाब पेश किया पत्रावली शामिल किया ।	
16.12.19	पत्रावली पेश हुई । बहस उभय पक्ष सुनी गई। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाला जाकर शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner